भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1850
दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीसीपीआईआर हेतु प्रारूप मास्टर प्लान

1850. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) को वर्ष 2009 में अनुमोदित किया गया था और मास्टर प्लान का विस्तृत प्रारूप 2011 में प्रकाशित किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके प्रारूप मास्टर प्लान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो एक दशक से अधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) को फरवरी, 2009 में मंजूरी दी गई थी। विस्तृत प्रारूप मास्टर प्लान वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था।

(ख) एवं (ग): पीसीपीआईआर नीति, 2007 के तहत डाउनस्ट्रीम उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एंकर यूनिट (यानी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स) की स्थापना की बात कही गई है। हालांकि, 'एंकर यूनिट' और उसके स्थान

को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में, क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति और मास्टर प्लान को उसके बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम-काकीनाडा पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र विशेष विकास प्राधिकरण (वीके- पीसीपीआईआर एसडीए) को क्षेत्र के लिए योजना तैयार करने के लिए निदेश दिया है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने की योजना है।

******